न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 142/2019 निर्णय दिनांक :– 18.5.19

उनवान

1. प्रहलाद
2. हरिनारायण पुत्रान् स्व. गोपाल जाति गुर्जर, निवासी– ग्राम यादगारपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर राज.।

––वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

––प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से वाद पत्र गिम्न प्रकार से पेश किया गया कि वाके ग्राम यादगारपुरा, तहसील कोटखावदा, में आराजी खसरा नंबर 204/456 रकबा 0.05 है0 किस्म गैर मु. रास्ता तथा खसरा नंबर 204/457 रकबा 0.04 है0 किस्म गैर मु. रास्ता स्थित है। यह कि उक्त खसरा नंबर 204/456 के पुराने नंबर 46 है। जिसकी किस्म बारानी बंजड थी तथा खसरा नंबर 204/457 के पुराने नंबर 47 जिसकी किस्म भी बंजड बारानी थी। आराजी को भू–प्रबंधक

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

के दौरान राजस्व कर्मियों ने बजड बारानी से उक्त की किस्म गैर मु. रास्ता कर दिया गया जबकि मौके पर कोई भी रास्ता नहीं है। बल्कि उक्त आराजी के समान्तर खसरा नंबर 202/459 तथा खसरा नंबर 204/462 गैर मु. रास्ता सिवाय चक के रूप में दर्ज है। इस प्रकार वादीगण की आराजी की किस्म राजस्व कर्मियों ने गलती से गैर मु. रास्ते के रूप में भू-प्रबंध के दौरान कर दी जबकि उक्त वादीगण की उक्त आराजी में से कोई रास्ता नहीं है बल्कि उक्त के समान्तर स्थित सिवाय चक भूमि में से रास्ता है जो राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज है। सहवन से वादीगण की भूमि को गैर मु. रास्ते के रूप में दर्ज कर दिया गया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। जब वादीगण अपनी उक्त आराजी की जमबंदिया किसी घरेलू कार्य वश निकलवायी तो पटवारी जी ने उक्त में रास्ता दर्ज होना बताया। वादीगण को यह मालूम चला तो वे अचेम्बे में पड गये पूरा रिकार्ड निकलवाया तो पता चला कि भू-प्रबंध के दौरान सहवन से भू-प्रबंध अधिकारियों ने गैर मु. रास्ता अंकित कर वादीगण की खातेदारी की किस्म चेंज कर दी। जबकि वादीगण की उक्त खातेदारी में अपने पूर्वजों के समय से कभी कोई रास्ता नहीं रहा और ना ही आज है। इस प्रकार उक्त त्रुटि पूर्ण किये गये राजस्व इन्द्राज को वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। गत वर्ष जब वादीगण ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तो वादीगण को उक्त अशुद्धि का पता चला वादीगण ने इस हेतु तहसीलदार साहब को भी आवेदन किया पर तहसीलदार ने सक्षम न्यायालय कार्यवाही करने बाबत इदायत दी। इसलिये यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

हुआ। मान्य न्यायालय को दावा सुनने व तय करने का क्षेत्राधिकार को प्राप्त है। दावा वादीगण बहक प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वाद पत्र में मद नं. 1 में वर्णित आरजी में वादीगण की आराजी की किस्म को बारानी घोषित किया जावे तथा गैर मु. रास्ते की किस्म को परिवर्तन कर बारानी दुरुस्त की जाकर बारानी होने की घोषणा की जावे प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा ना करे। अन्य कोई अनुतोष जो मान्य न्यायालय उचत समझे प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

दावा वकील वादी ने पेश किया रिपोर्ट दाखिल होकर पेश हुआ दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी व जवाब सरकार हेतु लिखा गया तो तहसीलदार द्वारा जवाब सरकार पेश किया व वादी द्वारा पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट पेश की जिसकी प्रमाणित प्रति पेश की गई जो इस प्रकार है कि :– पैरा संख्या एक में वर्णित खसरा नं. 204/456 रकबा 0.05 हैक्टयर किस्म गै.मुरास्ता जमाबंदी संम्वबत 2073–76 के खाता संख्या 47 में प्रहलाद हरिनारायण पि. गोपाल जाति गूजर सा. यादगारपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर के नाम से अंकित है। पैरा एक में वर्णित खसरा नं. 404/457 रकबा 0.04 हैक्टयर किस्म गै.मुरास्ता लिखा गया है जो गलत है जमाबंदी संम्वत 2073–76 के खाता संख्या 48 में प्रहलाद हरिनारायण पि. गोपाल जाति यूजर के नाम से [illegible] नं. 204/457 रकबा 0.04 हैक्टयर किस्म गैमु. रास्ता के रूप अंकित है । राजस्व ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

यादगारपुरा में खसरा नं. 404/457 रकबा 0.04 ऐस्म गै.मु, रास्ता के रुप में कोई खसरा अंकित नहीं होने से ऐसा प्रतीत होता है कि लिपिकीय भूलवश वादी के वकील से सेवन से खसरा नं. 204/457 के बजाय 404/457 अंकित हो गया होगा । यह है कि खसरा नं. 204/456 रकबा 0.05 हैक्टयर गत खसरा नें. 46 रकबा 6 बीघा से बना है जो वादी के पिता स्व. श्री गोपाल पुत्र ग्यास्सा के नाम से अंकित था। इसी प्रकार खसरा नं. 204/457 रकदा 0.04 हैक्टयर के गत खसरा नं. 47 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा थें गत खसरा नं. 46 रकबा 6 बीघा कि किस्म भूमि प्रकार में 3 बिस्वा भूमि गै0मु0 तथा 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि बारानी बंजड के रुप में अंकित थी परन्तु गै.मु. रास्ता के रुप में कोई भूमि अंकित नहीं थी। गत खसरा नं. 47 रकबा 8 बीधा 5 बिस्वा भूमि की किस्म में बारानी एंव बंजड अंकित है गै.मु. रास्ता अंकित नहीं है । इस प्रकार वादी के पैरा एक में वर्णित तथ्य स्वीकार करने योग्य है। पैरा दो में वर्णित तथ्य सही है कि भा प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नं. 204/456 एंव खसरा नं0 204/457 के किस्म गै, मु–रास्ता गत राजस्व रेकार्ड के अनुरुप दर्ज नहीं की गई है बल्कि उक्त दोनो खसरों के समान्तर खसरा नं. 202/459 तथा खसरा नं. 204/462 जो गत खसरा नं, 53 गै.मु रास्ता के रुप में अंकित थे के अनुरुप ही वादी के खसरा नम्बरों की किस्म भी गै.मु. रास्ता के रुप में दर्ज कर दी गई । मौका "निरीक्षण से साफ जाहिर है कि खसरा नं, 204/456 तथा 204/457 गैमुरा[illegible] रुप में वर्तमान में काम नहीं आ रहे है तथा गत [illegible] 48 [illegible] में भी गैमु. रास्ता को कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

अंकन नहीं है इस प्रकार वाद का यह कथन सही है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जो गलती की गई है उसको वह दुरुस्त करवा सकें। पैरा तीन में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में वादी स्वयं सिद्ध करने के लिए उत्तरदायी है। पैरा चार में वर्णित तथ्य आंशिक स्वीकार है कि वादी द्वारा तहसीलदार साहब को उक्त त्रुटि सुधार करने हेतू वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर वादी को सलाह दी गई की सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर उक्त त्रुटि को शुद्ध करवावे। पेरा 5 से 8 का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को होने के कारण जवाब वांछित नहीं है। इस प्रकार जवाब प्रस्तुत कर अग्रिम कार्यवाही हेतू पेश है। तहसीलदार द्वारा भी जवाब पेश किया उसमें वाद का पैरा नम्बर 1 व 2 स्वीकार किया गया है। जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वादी वकील ने दावे का समर्थन करते हुये मुताबिक जवाब सरकार व पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावे।

वकील वादी ने दावे के समर्थन में ग्राम यादगारपुरा की जमाबंदी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 47, 48 जमाबंदी संवत 2037–40 खाता संख्या 16, 14 बतौर सबूत पेश की गयी।

वकील वादी की बहस पर गोर किया व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जवाब सरकार व मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का का परीक्षण किया गया तो खसरा नम्बर 204/456 रकबा 0.05 है0 गत खसरा नम्बर 46 रकबा 6 बीघा [illegible] है जो वादी के पिता गोपाल पुत्र ग्यारसा के नाम से अंकित था [illegible] खसरा नम्बर 204/457

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

रकबा 0.04 है0 के गत खसरा नम्बर 47 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा थे गत खसरा नम्बर 46 रकबा 6 बीघा थे किस्म भूमि प्रकार में 3 बिस्वा भूमि गै0 मु0 तथा 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि बारानी बंजड के रूप में अंकित थी परन्तु गै0 मु0 रास्ता के रूप में काई भी अंकित नही थी गत खसरा नम्बर 47 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि की किस्म बारानी एवं बंजड अंकित है गै0मु0 रास्ता अंकित नही है। भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 204/456 एवं खसरा नम्बर 204/457 के किस्म गै0 मु0 रास्ता गत राजस्व रिकार्ड के अनुरूप दर्ज नही की गयी है बल्कि उक्त दोनो खसरो के समान्तर खसरा नम्बर 202/459 तथा 204/462 जो गत खसरा नम्बर 53 गै0 मु0 रास्ते के रूप में अंकित थे के अनुरूप ही वादी के खसरा नम्बरों की किस्म गै0 मु0 रास्ता के रूप में दर्ज कर दी गयी। खसरा नम्बर 204/456 व 204/457 गै0 मु0 रास्ता के रूप में वर्तमान में काम नही आ रहे है। तथा गत खसरा नम्बर 46 व 47 में भी गै0 मु0 रास्ता का कोई अंकन नही है, इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जो गलती की गयी है उसको दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

दावा वादी उपरोक्त विवेचन अनुसार डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि वाके ग्रम यादगारपुरा के खसरा नम्बर 204/456 रकबा 0.05 है0 गे0मु0 रास्ता, 204/457 रकबा 0.04 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ते के स्थान पर उक्त खसरा नम्बर 204/456 रकबा 0.05 हैं बारानी व खसरा नम्बर 204/457 रकबा 0.04 है0 की किस्म बारानी घोषित की जाती है इस प्रकार उक्त दोनो खसरा नम्बरान की

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

किस्म गै0मु0 रास्ते के स्थान पर बारानी घोषित की जाती है व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:35 IST
Reason: SelfAttested